संख्या:4/2022/720/पैतीस-2-2022

प्रेषक,

जयवीर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या प्रभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 07 जुलाई , 2022**

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अर्थ एवं संख्या प्रभाग के अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-437/पैतीस-2-2022 दिनांक 29-04-2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में अर्थ एवं संख्या प्रभाग के अधिष्ठान व्यय हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष प्रथम चार माह हेतु लेखानुदान की धनराशि रू0 4210.15 लाख की स्वीकृत प्रदान की गयी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अर्थ एवं संख्या प्रभाग के अधिष्ठान व्यय हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष लेखानुदान में स्वीकृत धनराशि के समायोजन के उपरान्त संलग्न विवरण के अनुसार रू0 8472.60 लाख (रू0 चौरासी करोड़ बहत्तर लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदया प्रदान करती है।

1- स्वीकृत धनराशि व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में उल्लिखित प्राविधानों/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित मदों के समक्ष अंकित धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3- विभागाध्यक्षों एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। धनराशि को आहरित कर पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा। यदि संबंधित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर है तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

4- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- वस्तुओं के क्रय करते समय उत्तर प्रदेश स्टोर पर्चेज रूल्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाय।

6- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 3454020010300 (अर्थ एवं संख्या निदेशालय)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	040	3454020010300 अर्थ एवं संख्या निदेशालय	01 वेतन	54,93,34,000 (रुपये चौवन करोड़ तिरानवे लाख चौंतीस हजार मात्र)
2	040	3454020010300 अर्थ एवं संख्या निदेशालय	02 मजदूरी	5,33,000 (रुपये पांच लाख तैंतीस हजार मात्र)
3	040	3454020010300 अर्थ एवं संख्या निदेशालय	03 मंहगाई भत्ता	20,32,54,000 (रुपये बीस करोड़ बत्तीस लाख चौवन हजार मात्र)
4	040	3454020010300 अर्थ एवं संख्या निदेशालय	04 यात्रा व्यय	73,33,000 (रुपये तिहत्तर लाख तैंतीस हजार मात्र)
5	040	3454020010300 अर्थ एवं संख्या निदेशालय	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	23,33,000 (रुपये तेईस लाख तैंतीस हजार मात्र)
6	040	3454020010300 अर्थ एवं संख्या निदेशालय	06 अन्य भत्ते	34,33,000 (रुपये चौंतीस लाख तैंतीस हजार मात्र)
7	040	3454020010300 अर्थ एवं संख्या निदेशालय	07 मानदेय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
8	040	3454020010300 अर्थ एवं संख्या निदेशालय	08 कार्यालय व्यय	43,33,000 (रुपये तैंतालीस लाख तैंतीस हजार मात्र)
9	040	3454020010300 अर्थ एवं संख्या निदेशालय	09 विद्युत देय	65,60,000 (रुपये पैंसठ लाख साठ हजार मात्र)
10	040	3454020010300 अर्थ एवं संख्या निदेशालय	10 जलकर / जल प्रभार	13,07,000 (रुपये तेरह लाख सात हजार मात्र)
11	040	3454020010300 अर्थ एवं संख्या निदेशालय	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
12	040	3454020010300 अर्थ एवं संख्या निदेशालय	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	16,67,000 (रुपये सोलह लाख सड़सठ हजार मात्र)
13	040	3454020010300 अर्थ एवं संख्या निदेशालय	13 टेलीफोन पर व्यय	9,60,000 (रुपये नौ लाख साठ हजार मात्र)
14	040	3454020010300 अर्थ एवं संख्या निदेशालय	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	33,33,000 (रुपये तैंतीस लाख तैंतीस हजार मात्र)
15	040	3454020010300 अर्थ एवं संख्या निदेशालय	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3,33,000 (रुपये तीन लाख तैंतीस हजार मात्र)
16	040	3454020010300 अर्थ एवं संख्या निदेशालय	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	16,67,000 (रुपये सोलह लाख सड़सठ हजार मात्र)
17	040	3454020010300 अर्थ एवं संख्या निदेशालय	18 प्रकाशन	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
18	040	3454020010300 अर्थ एवं संख्या निदेशालय	29 अनुरक्षण	16,00,000 (रुपये सोलह लाख मात्र)
19	040	3454020010300 अर्थ एवं संख्या निदेशालय	42 अन्य व्यय	13,33,000 (रुपये तेरह लाख तैंतीस हजार मात्र)
20	040	3454020010300 अर्थ एवं संख्या निदेशालय	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	5,47,000 (रुपये पांच लाख सैंतालीस हजार मात्र)
21	040	3454020010300 अर्थ एवं संख्या निदेशालय	45 अवकाश यात्रा व्यय	3,33,000 (रुपये तीन लाख तैंतीस हजार मात्र)
22	040	3454020010300 अर्थ एवं संख्या निदेशालय	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
23	040	3454020010300 अर्थ एवं संख्या निदेशालय	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	13,70,000 (रुपये तेरह लाख सत्तर हजार मात्र)
24	040	3454020010300 अर्थ एवं संख्या निदेशालय	49 चिकित्सा व्यय	70,97,000 (रुपये सत्तर लाख सत्तानवे हजार मात्र)
25	040	3454020010300 अर्थ एवं संख्या निदेशालय	51 वर्दी व्यय	67,000 (रुपये सड़सठ हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
26	040	3454020010300 अर्थ एवं संख्या निदेशालय	55 मकान किराया भत्ता	3,73,33,000 (रुपये तीन करोड़ तिहत्तर लाख तैंतीस हजार मात्र)
27	040	3454020010300 अर्थ एवं संख्या निदेशालय	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
	कुल			**84,72,60,000** **(रुपये चौरासी करोड़ बहत्तर लाख साठ हजार मात्र)**

महायोग	**84,72,60,000** **(रुपये चौरासी करोड़ बहत्तर लाख साठ हजार मात्र)**

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(जयवीर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या:4/2022/720/(1)/पैतीस-2-2022-तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा, सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
5. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6.वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जयवीर सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।